

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.3 / 660 / 2019 / 31485
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/12/19

1. सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
जिला—इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, खरगोन, बडवानी, रतलाम,
ग्वालियर, श्योपुर, सागर, जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा मण्डला, सिंगरौली, एवं
शहडोल
2. जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
जिला’—रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, हरदा, शाजमुर, आगर—मालवा, मंदसौर,
देवास, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, अशोकनुगर, शिवपुरी, दमोह, पन्ना, छतरपुर,
टीकमगढ़, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा एवं सतना

विषय:—संविदा छात्रावास/आश्रमों में पदस्थ अधीक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन करने
की जानकारी भेजने बाबत ।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क./शिक्षा स्था.3 / 660 / 2018 / 11850 दिनांक 23.5.2018

इस कार्यालय का पत्र क./शिक्षा स्था.3 / 660 / 2018 / 25121 दिनांक 15.11.2018

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा संविदा छात्रावास/आश्रमों में पदस्थ अधीक्षकों
का अध्यापक संवर्ग में संविलियन करने संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र में चाही गई थी जो
आज पर्यन्त अप्राप्त है ।

चाही गई जानकारी तत्काल विभाग के ई—मेल addcom1twdbho@mp.gov.in
पर उपलब्ध करावें ।

खेतर - प्रपत्र

अपर संचालक,
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / शि.स्था.3 / 660 / 2019 / 31486
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4/12/19

1. समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
की ओर सूचनार्थ । कृपया जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना
सुनिश्चित करें ।

अपर संचालक,
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

प्रपत्र-१

क्रमांक	जिले को आवंटित संविदा अधीक्षक के पद	नियुक्त संविदा छात्रावास अधीक्षक का नाम	पदस्थापना स्थान	शैक्षणिक योग्यता	संविदा शिक्षक वर्ग-२ में संविलियन का दिनांक	अध्यापक रांगड़ में संविलियन का दिनांक	रिमार्क
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

इस्ताक्षर
जिला अधिकारी